उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 62/2009

राज्य बनाम् सरजू एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
21-02-2018	–:: आदेश ::–	

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के ज्ञापांक 78/अप0शा0, दिनांक 14.01.1999 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुशंसा के आलोक में जप्त ट्रक सं0– MP-23B-7029 एवं उस पर लदा 09 क्विंटल पोड़ा कोयला को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6A अंतर्गत राज्यसात करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना बेन्च, राँची में दायर Cr. Misc. N₀.-2925/1993 (R) Gulshan Kumar Munjilal Versuus The State of Bihar में दिनांक 06.07.1993 को पारित आदेश के अलोक में थाना काण्ड संख्या– 10(1)/92 की कार्रवाई को स्थगित रखा गया है। उक्त निदेश के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से अद्यतन स्थिति की मांग की गई, जो अबतक अप्राप्त है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना बेन्च, राँची में दायर Cr.Misc.N₀.-2925/1993 (R) Gulshan Kumar Munjilal Versuus The State of Bihar में दिनांक 06.07.1993 को पारित आदेश के अलोक में थाना काण्ड संख्या– 10(1)/92 की कार्रवाई को स्थगित रखा गया है, फलतः अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना नियम के प्रतिकुल है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने तक वाद की कार्रवाई **स्थगित** रखी जाती है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर–आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई **बन्द** की जाती है। 195/22/3

लेखापित एवं संशोधित

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़।